राजस्थान सरकार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन
2016–2017

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
राजस्थान, जयपुर

विवरणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	एक परिचय	1
2.	विभाग की स्थापना एवं गठन	2–3
3.	वर्ष 2016–17 की उपलब्धियां	3–5
4.	अभाव स्थिति	5
5.	मानसून की स्थिति	6
6.	ओलावृष्टि की स्थिति	7
7.	पशु संरक्षण गतिविधियाँ	7
8.	असहाय सहायता	7
9.	अतिवृष्टि/बाढ़ की स्थिति	7–8
10.	क्षमता संवर्द्धन	8
11.	अग्नि पीड़ितों को सहायता	8
12.	राजस्थान राहत कोष	9
13.	राज्य/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि की स्थिति	9

परिशिष्ट

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रशासनिक ढ़ांचा	10
2.	विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची	11
3.	स्वीकृत पदों की स्थिति	12
4.	राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	13
5.	राज्य कार्यकारिणी समिति	14
6.	जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण	15
7.	राज्य आपदा मोचन निधि/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि अन्तर्गत बजट प्रावधान व व्यय की स्थिति	16
8.	अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति	17
9.	अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की स्थिति	18
10.	आपदावार नोडल विभागों की सूची	19
11.	अभाव की स्थिति	20–21
12.	वर्षा की स्थिति	22
13.	सूखा आवृति क्षेत्र का मानचित्र	23
14.	भूकम्प सम्भावित क्षेत्र का मानचित्र	24

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

एक परिचय

राजस्थान राज्य का अधिकांश भाग रेगिस्तानी एवं कम वर्षा वाला है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 685.48 लाख है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या 515.00 लाख है तथा शहरी क्षेत्र की जनसंख्या 170.48 लाख है। जनसंख्या का औसत घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्य की जनसंख्या का लगभग 75.13 प्रतिशत ग्रामीण व 24.87 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। राज्य के थार मरूस्थल के अन्तर्गत 12 जिलों का 60 प्रतिशत भू–भाग आता है जिसमें राज्य की लगभग 40 प्रतिशत जनता निवास करती है।

राज्य में लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। राज्य की जलवायु अर्द्ध शुष्क से शुष्क के मध्य है। राज्य में देश के कुल भू–भाग का 10.4 प्रतिशत है, जबकि कुल जल संसाधन का केवल 1 प्रतिशत भाग ही विद्यमान है। उत्तर–पश्चिमी रेतीले भाग में कृषि के साथ–साथ पशुपालन भी काफी महत्वपूर्ण है। वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार राज्य में 5.77 करोड पशुधन हैं जो कि देश की कुल पशु संख्या का 11.27 प्रतिशत है।

राजस्थान के निवासियों को किसी न किसी रूप में लगभग हमेशा ही अकाल का सामना करना पड़ता रहा है। राजस्थान बनने के पश्चात केवल वर्ष 1959–60, 1973–74, 1975–76, 1976–77, 1990–91 व 1994–95 को छोड़कर अन्य वर्षो में अकाल की स्थिति राज्य के किसी न किसी भाग में कमोबेश लगातार विद्यमान रही है।

वर्ष 2013–14 के समंकों के अनुसार प्रदेश में कुल बोये गये 26120 हजार हैक्टेयर भूमि में से 9864 हजार हैक्टेयर ही सिंचित भूमि है। राज्य में शुद्ध सिंचित क्षेत्र की 74.20 लाख हेक्टेयर (97.00 प्रतिशत) भूमि कुओं, नलकूपो तथा नहरों से सिंचाई की जाती है। प्रदेश में कुओं का जलस्तर बहुत नीचे है तथा कुछ जगह पानी फ्लोराइड युक्त व खारा भी है जो कि सिंचाई एवं पेयजल हेतु उपयुक्त नहीं होता है। राज्य की लगभग 75 प्रतिशत खेती वर्षा पर निर्भर रहती है। राज्य के अधिकतर क्षेत्र में सिंचाई कुओं व नलकूपो से होती है तथा कम वर्षा के समय अक्सर कुएं व नलकूप सूख जाते हैं अथवा जलस्तर बहुत नीचे चला जाता है। समय पर पर्याप्त वर्षा न होने के कारण खरीफ व रबी दोनों ही फसलें खराब हो जाती है।

विभाग की स्थापना एवं गठन

सहायता विभाग की स्थापना राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.10.1951 के द्वारा सहायता आयुक्त के कार्यालय की स्थापना के साथ हुई। पूर्व में राहत संबंधी कार्य राजस्व विभाग के अधीन एक शाखा द्वारा सम्पन्न किये जाते थे। दिनांक 30.4.1962 को अकाल संहिता तैयार की गई तथा सहायता विभाग ने उसके अनुसार कार्य प्रारंभ किया। वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। इसी वर्ष से दोनों विभाग अलग होकर सहायता विभाग का एक अलग अस्तित्व कायम हुआ। वर्ष 1963–64 एवं वर्ष 1964–65 में राज्य में भंयकर सूखे की स्थिति से मुकाबला करने के लिए सहायता विभाग का पूर्ण विस्तार हुआ।

गुजरात राज्य में आये भूकम्प दिनांक 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा संकट प्रावधान व्यवस्था (Crisis Management) के बजाय जोखिम प्रावधान व्यवस्था (Risk Management) की नीति अपनाई गई है जिसके अनुसरण में भारत सरकार के पत्र दिनांक 18.12.2002 में दिये गये दिशा निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 30.10.2003 से सहायता विभाग का नाम बदल कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग कर दिया गया हैं।

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान सरकार का एक स्थायी विभाग है, जो शासन सचिव एवं आयुक्त, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता के अधीन कार्य करता है। इस विभाग का मुख्यालय राज्य स्तरीय है। राज्य में होने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के प्रबन्धन एवं प्रभावितों को राहत प्रदान करने का कार्य इस विभाग द्वारा किया जाता है। राहत एवं बचाव कार्य विभिन्न विभागों/संस्थानों के माध्यम से सम्पन्न कराये जाते हैं। जिला कलक्टर तथा विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्यो के नियंत्रण, क्रियान्वयन एवं समन्वय अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 राज्य में अगस्त 1, 2007 से लागू होने के फलस्वरूप विभाग के कार्य में व्यापक दृष्टिकोण एवं नये परिप्रेक्ष्य में आपदा प्रबन्धन के कार्य, जिसमें आपदा से बचाव व राहत प्रदान करने के स्थान पर आपदा पूर्व योजनाबद्ध तरीके से रोकथाम के उपाय, आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम करने के उपाय एवं इस सम्बन्धी सभी अग्रिम आवश्यक तैयारियाँ करना और आपदा आने पर बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्य प्रभावशाली तरीके से संचालित करना है।

विभाग के प्रशासनिक गठन का ढांचा **परिशिष्ट–1,** विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट–2,** विभाग में स्वीकृत पदों की स्थिति **परिशिष्ट–3** पर दर्शायी गयी है। जिला स्तर पर जिला कलक्टर सहायता गतिविधियों का नियंत्रण, प्रतिपादन एवं समन्वय करते हैं।

विभागीय निर्देशों, गतिविधियों एवं प्रगति की आदिनांक जानकारी विभाग की वेब साइट http://www.dmrelief.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध है।

वर्ष 2016–2017 (दिसम्बर, 2016 तक) की उपलब्धियाँ

1. राज्य कार्यकारी समिति की वर्ष 2016–17 **(दिसम्बर, 2016 तक) में** मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 05.04.2016, 03.05.2016, 17.06.2016, 25.07.2016 एवं 19.10. 2016 को बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठको में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयो का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः–

   - दिनांक 05.04.16 को आयोजित बैठक में संवत 2072 में अभावग्रस्त घोषित जिलों में अवस्थित गौशालाओं को राहत सहायता तथा अभावग्रस्त घोषित जिलों में आपातकालीन पेयजल परिवहन के संबंध में निर्णय लिये गये।

   - दिनांक 03.05.16 को आयोजित बैठक में पशु संरक्षण गतिविधियों के संबंध में निर्णय लिया गया, गौशाला राहत सहायता की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया एवं पेयजल परिवहन व्यवस्था के संबंध में निर्णय लिया गया।

   - दिनांक 17.06.16 को आयोजित बैठक में संवत 2071 में चुरू जिले से अभाव अवधि के पश्चात प्राप्त गौशाला राहत प्रस्तावों की जॉच के संबंध में निर्णय, खरीफ संवत 2072 में कृषि आदान अनुदान वितरण के संबंध में निर्णय, त्वरित कार्यवाही दल (DQRT) के गठन के संबंध में निर्णय, संवत 2072 में खरीफ एवं रबी के दौरान जारी की गयी अभाव घोषणा 15 जुलाई, 2016तक प्रभावी थी, जिसे बढ़ाये जाने के संबंध में निर्णय लिये गये।

   - दिनांक 25.07.16 को आयोजित बैठक में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत हेतु वर्षा की मात्रा के मापदण्ड निर्धारित करने के संबंध में निर्णय, राज्य आपदा प्रतिसाद बल से संबंधित प्रस्तावों पर निर्णय लिया गया। जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ द्वारा गौशाला एक्सटेंशन की स्वीकृति को निरस्त कर 30 दिवस की निरन्तरता में गौशाला की स्वीकृति दी गई।

- दिनांक 19.10.16 को आयोजित बैठक में रबी संवत 2072 के कृषि आदान–अनुदान वितरण के संबंध में निर्णय लिया गया। खरीफ संवत 2072 में शेष रहे काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान वितरण करने के संबंध में निर्णय लिया गया। क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के प्रस्तावो की स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिया गया।

2. राज्य में आकाशीय बिजली, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं मे जलने, डूबने तथा मकान ढहने से मृतकों के परिजनों को एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार 4.00 लाख रुपये प्रति व्यक्ति सहायता प्रदान की गयी है।

3. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 लागू होने के उपरान्त यह आवश्यक हो गया है कि राज्य आपदा प्रबन्धन नीति में आवश्यक संशोधन समाहित किये जायें एवं अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नीति का निर्धारण किया जाये। अतः अधिनियम की धारा 18 की पालना में संशोधित आपदा प्रबन्धन नीति तैयार की जाकर लागू कर दी गई है।

4. आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुच्छेद 23 की अनुपालना में भारत सरकार के निर्देशानुसार विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबन्धन योजना तैयार की जाकर लागू कर दी गई है।

5. अनुच्छेद 31 की अनुपालना में अधिकांश जिलों की जिला आपदा प्रबन्धन योजनाये तैयार की जा चुकी है , जिनको समय –समय पर अद्यतन किया जा रहा है।

6. आपदाओं के प्रबन्धन में संसाधनों व जन शक्ति की उपलब्धता के सम्बन्ध में जानकारी India Disaster Resource Network (IDRN) वेब साइट के माध्यम से समय–समय पर जिलों द्वारा अद्यतन की जा रही है।

7. भारत सरकार को आपदा प्रबन्धन की वर्ष 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट भिजवाई जा चुकी गई है।

8. सम्वत 2072 में सूखा प्रभावित 19 जिलों यथा अजमेर, बांसवाडा, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुन्झूनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ मे काश्तकारों द्वारा बोयी गयी खरीफ फसल में 50 प्रतिशत या इससे अधिक का खराबा होने पर 14487 ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित कर प्रभावित काश्तकारों को कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध कराई है एवं प्रभावित जिलों में राहत गतिविधियों का संचालन कर राहत प्रदान की गई है।

9. फसल रबी 2016 (2072) में काश्तकारों की बोयी गयी फसलों में माह मार्च, 2016 के दौरान राज्य में हुई ओलावृष्टि से 50 प्रतिशत या इससे अधिक का नुकसान होने पर जिला कलक्टरों से प्राप्त गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 11 जिलों अलवर, बीकानेर, चूरू, श्रीगगांनगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुन्झूनू, जोधपुर, करौली एवं नागौर के 303 गांवों को अभावग्रस्त घोषित कर राहत गतिविधियों का संचालन किया गया है। सम्वत 2072 के अन्तर्गत रबी फसल खराबे पर प्रभावित कृषकों के खातों में कृषि आदान अनुदान सहायता की राशि का हस्तानान्तरण किया जा रहा है।

10. विभाग द्वारा आपदा प्रबन्धन के क्रम में जिला व राज्य स्तर के मध्य पत्राचार व बजट आवंटन की प्रक्रिया सरल व त्वरित करने की दृष्टि से एक वेब आधारित कम्प्यूटर एप्लीकेशन राजकॉम्प के माध्यम से तैयार करवायी गई है। इस वेब एप्लीकेशन के माध्यम से जिलों द्वारा विभिन्न गतिविधियों हेतु मदवार ऑनलाइन डिमाण्ड की जाती है जिसकी विभाग संवीक्षा कर ऑनलाइन बजट आवंटन करता है। इसके अतिरिक्त विभाग विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट, आवंटन–व्यय पर नियन्त्रण, एसी–डीसी बिलों की प्रगति आदि की सूचना भी इसी वैब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। इस वेब एप्लीकेशन को और अत्यधिक सूचनावर्धक व उपयोगी बनाने हेतु समय–समय पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। IFMS के साथ इसका Integration भी किया जा चुका है।

अभाव स्थिति

विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14226–66 दिनाक 19.12.2015 द्वारा सम्वत 2072 में राज्य के 19 जिलों यथा अजमेर, बांसवाडा, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झुन्झूनू, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ के 14487 गांवों को खरीफ फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।

विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4248–268 दिनाक 27.04.2016 द्वारा सम्वत 2072 में राज्य के 11 जिलों यथा अलवर,बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुन्झूनू, जोधपुर, करौली एवं नागौर के 303 गांवों को रबी फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।

विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14608–40 दिनाक 30.11.2016 द्वारा सम्वत 2073 में राज्य के 13 जिलों यथा अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, चूरू, जैसलमेर, जालोर, झालावाड, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमन्द एवं उदयपुर के 5656 गांवों को खरीफ फसल के लिए अभावग्रस्त घोषित किया गया।

मानसून 2016

राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने दिनांक 26.06.2016 को प्रवेश किया एवं दिनांक 15.07.2016 तक पश्चिमी राजस्थान के कुछ भाग को छोडकर पूरे राज्य में सक्रिय हो गया । जिला श्रीगंगानगर को छोडकर प्रदेश में मानसून वर्षा लगभग अच्छी व सन्तोषप्रद रही। मानसून वर्षा अवधि की प्रथम दो तिहाई अवधि में वर्षा बहुत अच्छी रही है, जबकि शेष एक तिहाई अवधि में मानसून अप्रत्याशित रूप से असक्रिय हो गया। राज्य में 1 सितम्बर 2016 से 30 सितम्बर 2016 के मध्य 86.15 मि.मी. औसत वर्षा होनी थी, इसके मुकाबले में मात्र 32.41 मि.मी. वास्तविक वर्षा दर्ज की गई जो की सामान्य से 62.40 प्रतिशत कम रही।

राज्य में 1 जून 2016 से 30 सितम्बर 2016 तक की सामान्य वर्षा 530.08 मि.मी. के विरूद्ध 678.56 मि.मी. वर्षा दर्ज की गई जो कि सामान्य से 28 प्रतिशत अधिक है। मानसून सत्र में 1 जून, 2016 से 30 सितम्बर, 2016 तक हुई वर्षा के अनुसार जिलों को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है:–

क्र. सं.	श्रेणी	नाम जिले	संख्या
1.	असामान्य वर्षा (सामान्य से 60 प्रतिशत तथा इससे अधिक)	चित्तौडगढ एवं पाली	2
2.	अधिक वर्षा (सामान्य से 20 से 59 प्रतिशत)	अजमेर, बांसवाडा, बारां, भीलवाडा, बून्दी, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, झालावाड, झुन्झूनू, जोधपुर, नागौर, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक एवं उदयपुर	18
3.	सामान्य वर्षा (सामान्य से (+) 19 प्रतिशत से (–) 19 प्रतिशत तक)	अलवर, बाड़मेर ,भरतपुर, बीकानेर, धौलपुर, हनुमानगढ, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, करौली, कोटा एवं सिरोही।	12
4.	कम वर्षा (सामान्य से (–) 20 प्रतिशत से (–) 59 प्रतिशत)	श्रीगंगानगर	1
5	न्यून वर्षा (सामान्य से (–) 60 प्रतिशत व इससे कम)	कोई नही	0

मानसून अवधि दिनांक 30.9.2016 तक राज्य के वृहद, मध्यम एवं लघु बाँधों (4.25 Mcum भराव क्षमता से अधिक क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 11838.229 Mcum की तुलना में 10253.762 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 86.62 प्रतिशत है। राज्य के छोटे बाँधों (4.25 Mcum से कम भराव क्षमता वाले बाँध) में कुल भराव क्षमता 977.904 Mcum की तुलना में 556.281 Mcum पानी प्राप्त हुआ, जो कि कुल भराव क्षमता का 56.89 प्रतिशत है। इस प्रकार कुल मिलाकर राज्य के सभी छोटे व वृहद बाँधों में उनकी कुल भराव क्षमता का 84.35 प्रतिशत पानी दिनांक 30.9.2016 को भरा हुआ था।

मानूसन सत्र 2016 में राज्य में हुई वर्षा तथा गत 2 वर्षो से इसकी तुलना का जिलेवार विवरण **परिशिष्ट–12** पर उपलब्ध है।

ओलावृष्टि

राज्य में वर्ष 2016 में राज्य के 11 जिले यथा अलवर, बीकानेर, चूरू, श्रीगगांनगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुन्झूनू, जोधपुर, करौली एवं नागौर में ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि से प्रभावित मृतकों, घायलों, क्षतिग्रस्त मकानों एवं पशुओं के लिये भी एस.डी.आर. एफ. मानदण्डों के अनुसार सहायता राशि एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित पैकेज के अनुसार अन्य सहायता उपलब्ध करवाई गयी।

पशु संरक्षण गतिविधिया –

संवत 2072 में अभावग्रस्त जिलों की 1,424 पंजीकृत गौशालाओं के छोटे–बडे कुल 5. 05 लाख पशुओ हेतु राहत सहायता स्वीकृत की गई। भीलवाडा एवं बाडमेर जिले में अभाव संवत 2072 में 17 पशु शिविरों हेतु राहत सहायता स्वीकृत की गई।

असहाय सहायता

इसके अन्तर्गत प्रभावित जिलों के वृद्ध, असहाय एवं निराश्रित बच्चों को आधारभूत सुविधाओं हेतु असहाय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इस वर्ष प्रभावित व्यक्तियों को दिनांक 31.10.2016 तक असहाय सहायता उपलब्ध करवाई गई।

अतिवृष्टि/बाढ़

राज्य में हुई अत्यधिक वर्षा से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति एवं किये गये बचाव कार्य

1. मानसून वर्ष 2016 में माह जुलाई एवं अगस्त में हुई भारी वर्षा के कारण राज्य के विभिन्न जिलो यथा अलवर, बांरा भरतपुर, भीलवाड़ा, चितौड़गढ़, दौसा, जालौर, झालावाड़, जोधपुर, करौली, पाली, सवाई माधोपुर, राजसमंद व टोंक में लगभग 1598 व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन, आरएसी, पुलिस, एसडीआरएफ/एनडीआरएफ एवं सेना द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन के माध्यम से बचाया गया , जिनमें से 97 लोगों को अलग–अलग जगह पर हेलिकॉप्टर की सहायता से एयर लिफ्ट करके बचाया गया।
2. मानसून वर्ष 2016 में हुई भारी वर्षा के कारण दस जिलों में 48 स्थानों पर राहत शिविर खोले गये, जिनमें 13508 व्यक्तियों को ठहराया गया।
3. राज्य में बहने/डूबने के कारण 48 व्यक्तियों, दीवार/मकान गिरने के कारण 14 व्यक्तियों एवं आकाशीय बिजली के कारण 35 व्यक्तियों कुल 97 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिनमें से 90 व्यक्तियों को 360.00 लाख रुपये (4.00 लाख रुपये प्रति व्यक्ति) का भुगतान किया जा चुका है।
4. बाढ़ से प्रभावित जिलों के 1905 गांवों को फसलों में हुए नुकसान का आंकलन गिरदावरी से किया जाकर अभावग्रस्त घोषित किया गया है। बाढ से 7.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 33 प्रतिशत एवं इससे अधिक फसल खराबा होने के कारण एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार प्रभावित किसानों को कृषि आदान–अनुदान वितरण किया जाना है। बाढ से प्रभावित किसानों को कृषि आदान–अनुदान वितरण करने, मकानों की क्षति, पशु क्षति, जनहानि, सार्वजनिक परिसम्पत्तियों में हुई क्षति से प्रभावितों को सहायता प्रदान करने हेतु

एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता हेतु भारत सरकार को 1375.48 करोड़ रूपये का ज्ञापन प्रेषित किया गया।

5. मानसून वर्ष 2016 में राज्य के 24 जिलों में बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सड़को/पुलो की तात्कालिक मरम्मत हेतु दिसम्बर 2016 तक 4013 कार्यो की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। बाढ़/अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई सड़को की तात्कालिक मरम्मत हेतु राशि 54.41 करोड रुपये का बजट आवंटन किया जा चुका है।

क्षमता संवर्द्धन

1. **"Minimum Standards of Relief for victims of disasters"** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों एवं आपदा प्रबन्धन एक्ट 2005 के सेक्शन 19 की अनुपालना में राज्य द्वारा Minimum Standards of Relief for victims of disasters के दिशा निर्देश तैयार किये गये है।

2. गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये मंच "National Platform for Disaster Risk Reduction (NPDRR)" के अनुरूप राज्य द्वारा State Platform for Disaster Risk Reduction (SPDRR) मंच बनाया गया है।

3. National Disaster Management Services (NDMS) Pilot Project for VSAT Based Communication Network Connecting all States/UTs के तहत राजस्थान राज्य के जयपुर, अलवर एवं जोधपुर में स्थित राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय इमरजेन्सी ऑपरेशन सेण्टर का चयन किये जाने के संबंध में MOU किया गया है।

4. **वित्तीय वर्ष 2016–17 में क्षमता संवर्द्धन एवं खोज एवं बचाव उपकरणों हेतु विभागों को निम्नानुसार राशि आवंटित की गई है– :–**

(i) हरीशचन्द माथुर राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर	64.50 लाख रुपये
(ii) स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर	330.00 लाख रुपये
(iii) राज्य आपदा मोचन बल प्रशिक्षण हेतु	19.34 लाख रुपये
(iv) नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को अग्निशमन वाहन हेतु	382.00 लाख रुपये
(v) नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर को सभी संभाग मुख्यालय पर 1–1 एवं निदेशालय स्तर पर 2 खोज एवं बचाव वाहन क्रय हेतु	58.00 लाख रुपये

अग्नि पीड़ितों को सहायता

जिला कलक्टरों को स्थायी निर्देश हैं कि अग्नि दुर्घटना से होने वाली जन–धन हानि का तत्काल सर्वे करवाकर पीड़ितों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जावे इसके लिए राज्य सरकार से किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 (माह दिसम्बर 2016 तक) में क्रमशः 635.88 लाख एवं 694.81 लाख रुपये की राशि अग्नि पीड़ित परिवारों को राहत प्रदान करने हेतु जिलों को उपलब्ध करवाई गई।

राजस्थान राहत कोष

एस.डी.आर.एफ. में अधिसूचित आपदाओं के अतिरिक्त अन्य आपदाओं में खोज एवं बचाव कार्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005–06 में रूपये 5.00 करोड़ की राशि का प्रावधान करके उक्त कोष का गठन किया गया है। इस कोष का प्रबंधन/संचालन मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। इस कोष में दिये गये अंशदान पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी में छूट का प्रावधान दिनांक 31.3.2018 तक किया गया है।

दिनांक 06.07.2010 को राजस्थान राहत कोष की राज्य स्तरीय समिति की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में राजस्थान राहत कोष की आय नाममात्र की रह जाने के कारण इस कोष में प्रतिवर्ष 25.00 लाख रूपये का बजटीय प्रावधान करवाने हेतु आवश्यक प्रस्ताव बजट निर्णायक समिति में शामिल किया जाने का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट प्रावधानों (B.E.) में 25.00 लाख रूपये का बजट प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में रूपये 1.81 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल रूपये 25.36 लाख राशि जिलों को बचाव/राहत कार्यों हेतु उपलब्ध करवाई गई। वर्ष 2013–14 के लिये अंकेक्षण पर 7,416/– रूपये तथा वर्ष 2014–15 के लिये अंकेक्षण पर 7,524/– रूपये व्यय किया गया। वर्ष 2015–16 के लिये अंकेक्षण पर 7500/–रूपये व्यय किया गया है।

वर्तमान में इस कोष में बचाव कार्यों हेतु रूपये 5.43 करोड़ की धन राशि उपलब्ध है।

राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF)/राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) बजट प्रावधान एवं व्यय

चौदहवें वित्त आयोग ने राज्य आपदा मोचन निधि में केन्द्र व राज्य सरकार के अंशदान का अनुपात पूर्व की भाँति ही 3 : 1 रखा है। वर्ष 2011–12 से 2016–17 की अवधि के दौरान वर्षवार केन्द्रीय एवं राज्य अंशदान की राशि का निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :–

(राशि करोड़ रुपये)

वर्ष	भारत सरकार का अंशदान	राज्य सरकार का अंशदान	योग
2011-12	473.02	157.67	630.69
2012-13	496.67	165.55	662.22
2013-14	521.50	173.83	695.33
2014-15	547.58	182.52	730.10
2015-16	827.25	275.75	1103.00
2016-17	868.50	289.50	1158.00
योग	3734.52	1244.82	4979.34

वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये मूल बजट प्रावधान मद 2245–01 सूखा व 02 बाढ़ चक्रवात आदि के लिये 1158.00 करोड़ रुपये स्वीकृत है।

वर्ष 2011–12 से 2016–2017 के अन्तर्गत आपदा राहत कोष/राज्य आपदा मोचन निधि की स्थिति **परिशिष्ट 7** पर एवं इस कोष के अन्तर्गत **अकाल राहत गतिविधियों व अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि** का विवरण **परिशिष्ट 8 व परिशिष्ट 9** पर उपलब्ध है।

Administrative Set-up

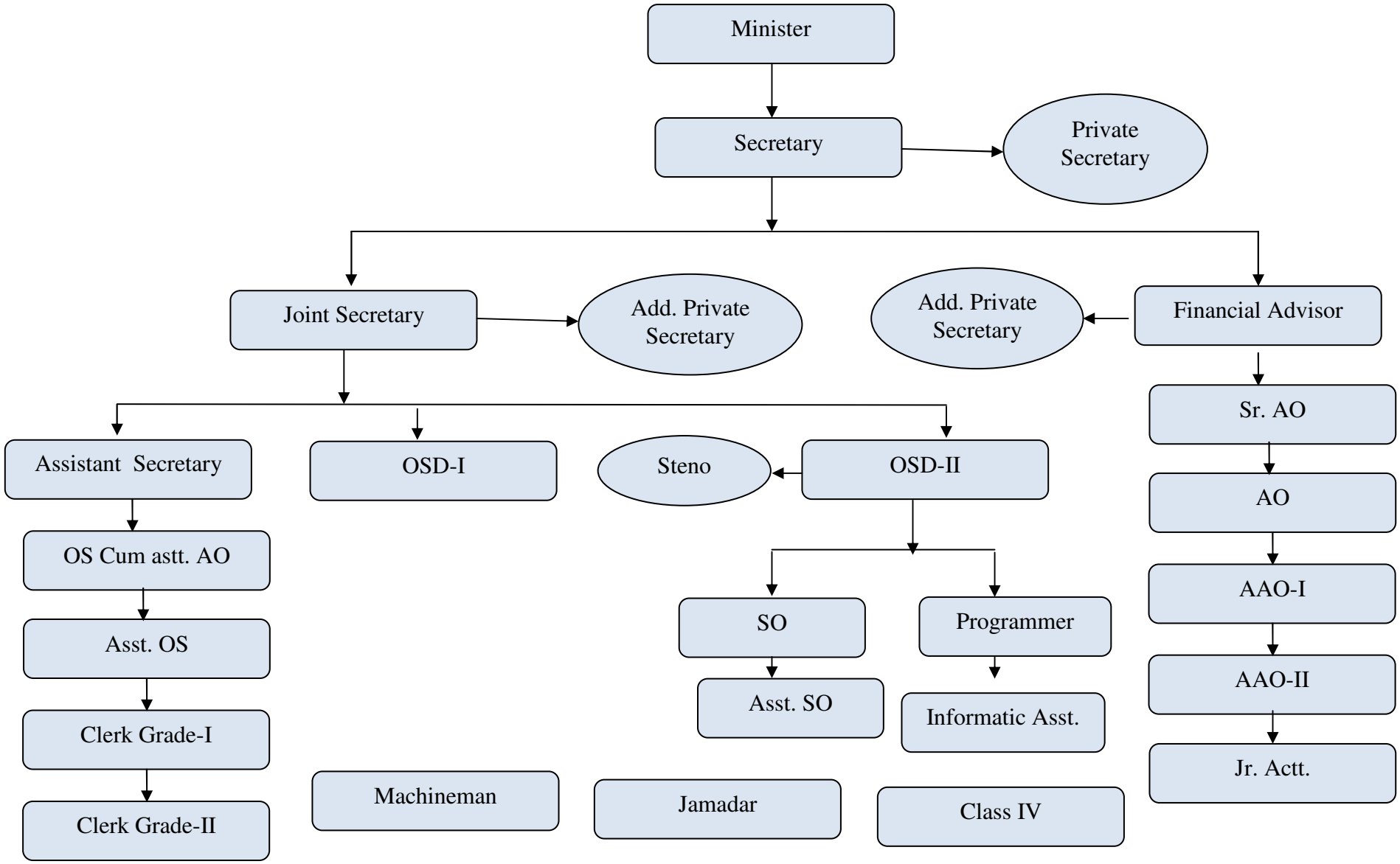

परिशिष्ट–2

विभाग में कार्यरत अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	पद नाम	नाम अधिकारी	दिनांक से विभाग में कार्यरत
1.	शासन सचिव	श्री रोहित कुमार	29.12.2014
2.	शासन विशिष्ट सचिव	रिक्त	–
3.	शासन उप सचिव	श्री अनिल कुमार पालीवाल	30.09.2015
4.	वित्तीय सलाहकार	श्री विश्वजीत सिंह	11.7.2016
5.	सहायक आयुक्त एवं सहायक शासन सचिव	श्री राम खिलाडी मीना	20.06.2016
6.	विशेषाधिकारी (2)	श्री देशराज मीणा	28.04.2015
		श्री बिजेन्द्र सिंह	30.03.2011
7.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	रिक्त	
8.	लेखाधिकारी	श्री मनोज कुमार गर्वा	7.12.2016
9.	सांख्यिकी अधिकारी	श्री कुंजबिहारी खण्डेलवाल	18.03.2016
10.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम (2)	श्री लक्ष्मीनारायण लावड़िया	01.04.2016
		श्री शंकर लाल मीना	15.12.2016
11	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय (5)	श्री सियाराम रैगर	16.12.2006
		श्री दिनेश चन्द जोशी	10.12.2009
		श्रीमती इन्द्रा शर्मा	21.09.2011
		रिक्त	
		रिक्त	
11.	प्रोग्रामर	श्री मुकेश कुमार वर्मा	28.03.1994

परिशिष्ट–3

स्वीकृत पदों की स्थिति

क्र.स.	पद नाम	स्वी.पदों की संख्या	रनिंग पे–बैण्ड	पे–बेन्ड	ग्रेड–पे
1.	शासन सचिव	1	37400–67000	IAS PB 4	10000
2.	विशिष्ठ शासन सचिव	1	37400–67000	IAS PB 4	8900
3.	संयुक्त शासन सचिव	1	37400–67000	PB 4	8700
4.	वित्तीय सलाहकार	1	37400–67000	PB 4	8700
5.	सहायक आयुक्त एवं पदेन शासन सहायक सचिव	1	15600–39100	PB 3	5400
6.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	15600–39100	PB 3	6600
8.	विशेषाधिकारी प्रथम	1	15600–39100	PB 3	7600
9	विशेषाधिकारी द्वितीय	1	15600–39100	PB3	6600
10	निजी सचिव	1	15600–39100	PB 3	6600
11	लेखाधिकारी	1	15600–39100	PB3	5400
12	प्रोग्रामर	1	9300–34800	PB 2	5400
13	सांख्यिकी अधिकारी	1	9300–34800	PB 2	4800
14	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I	2	9300–34800	PB2	4800
15	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	1	9300–34800	PB 2	4200
16.	अति. निजी. सचिव	2	9300–34800	PB2	5400
17	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	9300–34800	PB 2	4200
18	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	32	9300–34800	PB 2	4200
19	कनिष्ठ लेखाकार	4	9300–34800	PB 2	3600
20	सहायक कार्यालय अधीक्षक	2	9300–34800	PB 2	3600
21.	शीघ्र लिपिक	2	9300–34800	PB 1	3600
22.	लिपिक ग्रेड I	42	5200–20200	PB 1	2800
23.	सूचना सहायक	2	5200–20200	PB 1	2800
24.	लिपिक ग्रेड II	14	5200–20200	PB 1	2400
25	जमादार	3	5200–20200	PB 1	1900
26.	मशीन मैन	1	5200–20200	PB 1	1750
27.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	9	5200–20200	PB 1	1700

परिशिष्ट–4

राजस्थान राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

1.	मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
2.	वित्त मंत्री	सदस्य
3.	गृह मंत्री	सदस्य
4.	जल संसाधन मंत्री	सदस्य
5.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री	सदस्य
6.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	सदस्य
7.	स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री	सदस्य
8.	कृषि तथा पशुपालन मंत्री	सदस्य
9.	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री	सदस्य

नोट :

1. प्राधिकरण, विशेष परिस्थितियों में, यदि ऐसा आवश्यक समझा जावे, तो किसी मंत्री या राज्य मंत्री, जो प्राधिकरण का सदस्य नहीं है, को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
2. जब कभी वांछनीय समझा जावे, राज्य प्राधिकरण उसके कृत्यों में सहायता के लिये राज्य कार्यकारी समिति के किसी सदस्य को आमंत्रित कर सकेगा।
3. राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, राज्य प्राधिकरण का पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा और प्रमुख शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज्य प्राधिकरण का अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।
4. राज्य प्राधिकरण का अध्यक्ष किसी एक सदस्य को प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के रूप में पदाभिहित कर सकेगा।

परिशिष्ट–5

राजस्थान राज्य कार्यकारिणी समिति, आपदा प्रबन्धन
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि	सदस्य
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग	सदस्य
4.	प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
5.	शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	सदस्य सचिव

नोट : राज्य कार्यकारिणी समिति, जब कभी अध्यक्ष द्वारा अपेक्षित हो, किसी प्रमुख सचिव या सचिव को उसके कर्तव्य के निर्वहन में सहायता के लिये विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगी।

जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण
(राजस्थान आपदा प्रबन्धन नियम, 2009)

1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला प्रमुख, जिला परिषद	सह अध्यक्ष
3.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
4.	जिला पुलिस अधीक्षक	सदस्य
5.	जिले के लोक निर्माण विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य
6.	जिले के जल संसाधन विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी	सदस्य

प्राधिकरण के निम्नलिखित, स्थाई आमंत्रित होंगे :–

1. जिले के निर्वाचित संसद सदस्य, लोक सभा
2. जिले के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्य
3. जिले में पदस्थापित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी
4. जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियों में, यदि वह आवश्यक समझें, तो किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।
5. अपर कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट (सहायता अनुभाग का भारसाधक अधिकारी) प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

परिशिष्ट–7

POSITION OF SDRF/NDRF

(Rs.in Crore)

Funds	SDRF/NDRF	SDRF/NDRF	SDRF/NDRF	SDRF/NDRF	SDRF/NDRF	SDRF/NDRF
	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17 (Upto 31-12-2016)
(A) CRF/SDRF						
Opening Balance	4.64	570.20	1141.99	999.22	288.02	209.40
Central Share	473.02	496.67	521.50	547.58	827.25	868.50
State Share	157.67	165.55	173.83	182.52	275.75	289.50
Receipt from Interest	24.60	65.47	75.02	59.67	-	22.16
Received from GOI	-	-	-	-	1378.13	990.82
Funds transferd by State Govt. in SDRF	-	101.90	0.53	-	-	-
Total Funds Available under CRF	659.93	1399.79	1912.87	1788.99	2769.15	2380.38
Expenditure	**89.73**	**257.80**	**913.65**	**1570.57**	**2559.75**	**1605.48***
Closing Balance	**570.20**	**1141.99**	**999.22**	**218.42**	**209.40**	**774.90**
(B) NCCF/NDRF						
Opening Balance	69.60	69.60	69.60	69.60	-	
Receipts	-	-	-	-	-	
Total Fund Available under NCCF	69.60	69.60	69.60	69.60	-	
Allotment Made	-	-	-	-	-	
Closing Balance	69.60	69.60	69.60	69.60	-	
Total Funds available Under SDRF& NDRF(A+B)	**639.80**	**1,211.59**	**1,068.82**	**288.02**	**209.40**	**774.90**

* Amount of Allotment

परिशिष्ट–8

वर्ष 2013–2014, वर्ष 2014–15, वर्ष 2015–16 एवं वर्ष 2016–17 में अकाल राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

गतिविधि का विवरण	वर्ष 2013–2014	वर्ष 2014–15	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–2017 (दिनांक 31-12-2016 तक आवंटित राशि)
1	2	3	4	5
1. अनुग्रह सहायता	332.83	266.40	-21.17	-
2. पीने के पानी की आपूर्ति	552.28	969.23	958.40	1809.00
3. चारा परिवहन	246.22	52.28	478.04	-
4. पशु पोषण केन्द्र	640.53	-	-	-
5.पशु शिविर/गौशाला	2182.52	14656.90	20864.64	14585.81
6. पशु चिकित्सा	(-) 0.01	-	-	-
7 दवाओं की पूर्ति	-	-	-	-
8. अन्य विशेष राहत कार्य	(-) 0.24	(-) 1.20	-	-
9. अग्नि सहायता	453.77	560.04	635.88	694.81
10.सर्च एवं रेस्क्यू एव प्रशिक्षण	34.56	576.86	64.50	330.00
11.कृषि आदान अनुदान	78262.15	60585.87	7128.17	136599.00
12.अन्य सहायता	(-) 3.69	-	1.48	-
योग	**82,700.92**	**77666.38**	**30109.93**	**154018.62**

परिशिष्ट–9

वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में अन्य राहत गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि

(राशि लाख रुपये में)

क्र. स.	गतिविधियाँ	वर्ष			
		2013–14	2014–15	2015–16	2016–17 (दिनांक 31-12-2016 तक आवंटित राशि)
1	2	3	4	5	6
1.	आनुग्रहिक राहत	2.14	-	190.76	15.72
2.	पीने के पानी की आपूर्ति	-	--	-	-
3.	पशु चिकित्सा	-	-	-	-
4.	सड़कों की मरम्मत	1104.51	1492.12	4053.96	5441.00
5.	बिजली पुनरूद्धार	-	-	-	-
6.	सर्च, रेसक्यू एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय	445.61	248.07	261.76	384.03
7.	प्रशिक्षण	-	-	-	-
8.	खराब सरकारी कार्यालय भवनों की मरम्मत	-	-	-	-
9.	खराब जल पूर्ति, जल निकासी एवं जल मल निर्माण कार्यों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	26.27	44.62	1586.10	-
10.	शोकार्त परिवारों को सहायता	54.09	-	336.54	280.00
11.	घरों की मरम्मत	646.34	1427.53	3031.63	252.00
12.	ओलावृष्टि से प्रभावितों को कृषि आदान अनुदान	5,928.08	74539.79	214979.73	-
13.	डिसिल्टिंग	-	-	522.33	-
14.	पशु धन क्रय के लिये किसानों को सहायता	1.10	49.25	310.72	10.80
15.	खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धि कार्य	456.68	1589.12	591.91	145.83
16.	नगर निगम को सहायता	-	-	-	-
17.	नगर पालिका / परिषदों को सहायता	-	-	-	-
18.	पंचायत समिति / जिला परिषदों को सहायता	-	-	-	-
19.	मानवीय दवाइयों की आपूर्ति	-	-	-	-
20.	परिचालन लागत	-	-	-	-
21.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	-	-	-	-
22.	अन्य सहायता (कृषि आदान अनुदान)	-	-	-	-
	योग	**8,664.82**	**7,9390.50**	**225865.44**	**6529.38**

List of Nodal Departments

S.No.	**Name of Nodal Department**	**Related Disaster**
1.	Disaster Management & Relief	Droughts, Hailstorms, Heat Wave,Frost and Cold wave, Thunder & Lightening, Cyclones,
2.	Energy	Disaster involving power generation/ distribution/ transmission
3.	Home	Terrorist attack, Police Mutiny, Major Law & Order crisis, Nuclear, Chemical and Biological & Nuclear and Radiological disaster/Air, Road and Rail Accidents, Festival related disaster,
4.	Water Resources	Floods, Flash Floods, Dam Bursts & Cloudbursts
5.	PWD	Earthquake, Major Building Collapse, Landslides
6.	Mines & Petroleum	Mine Fire and Mine Flooding,Oil Spill
7.	Industries	Chemical & Industrial Disasters
8.	UDH	Urban Fires
9.	Revenue	Village Fire and Boat Capsizing
10.	Forests	Forest-Fire
11.	Medical & Health	Biological and Epidemic, Food Poisoning
12.	Agriculture	Pest Attack,
13.	Animal Husbandry	Epedemic in Animal Population

EXTENT OF SCARCITY (Kharif)

SAMVAT 2072

क्र.सं.	जिला	जिले के कुल गांवो की संख्या	जिले के कुल प्रभावित गांवो की संख्या 50 से 100 प्रतिशत	प्रभावित जन संख्या (लाखों में)	कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (लाख हैक्टयर में)	बोयी गई फसल का क्षेत्रफल (लाख हैक्टयर में)	खराब हुई फसल का क्षेत्रफल (लाख हैक्टयर में) 33 से 100 प्रतिशत	प्रभावित गांवो की संख्या			खराब हुई फसलों का मूल्य (लाखों में)	खराबे वाले गांवों के भू राजस्व की राशि रूपये में	स्थगन योग्य भू राजस्व की राशि रूपये में	कुल पशु संख्या वर्ष 2012 के अनुसार (लाखों में)	प्रभावित पशु संख्या (लाखों में)
								50 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम	75 से 100 प्रतिशत तक	33 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	अजमेर	1139	541	11.22	5.21	4.2	1.36	107	434	90	41037	1220173	928211	9.89	5.52
2	बांसवाड़ा	1532	1514	16.96	2.86	2.26	1.41	1510	4	0	31414	1219406	1219406	13.33	13.25
3	बारां	1248	1070	11.87	3.66	3.3	1.82	992	78	124	71061	2304360	1200937	9.07	8.71
4	बाड़मेर	2712	2206	23.46	23.78	15.61	8.76	1526	680	103	133693	290086	0	55.35	43.56
5	भीलवाड़ा	1910	1126	14.68	6.08	4.22	2.31	390	736	33	160404	3531021	3531021	21.81	13.08
6	चित्तौड़गढ़	1779	94	0.89	4.2	3.14	0.27	88	6	0	12549	153278	153278	13.81	0.84
7	चूरू	917	249	7.41	12.75	11.49	2.02	182	67	68	43911	812831	812831	17.84	6.9
8	डूंगरपुर	988	988	13.89	1.84	1.32	0.85	988	0	0	4021	221099	152293	11.13	11.13
9	हनुमानगढ़	1914	100	3.81	8.89	8.13	1.28	100	0	38	43991	352000	111503	2.89	1.34
10	जयपुर	2394	603	14.64	7.7	5.69	0.88	577	26	281	20515	1828689	1828689	8.39	8.1
11	जैसलमेर	840	114	0.88	28.37	7.61	0.61	83	31	13	1837	642873	5622	13.56	2.08
12	जालौर	805	407	8.14	8.67	6.03	2.68	73	334	29	56643	2866869	2367273	7.23	3.45
13	झुन्झुनूं	953	130	1.77	4.68	3.91	0.30	128	2	0	11850	90404	90404	12.88	1.56
14	जोधपुर	1876	527	11.32	19.25	12.85	2.89	408	119	260	22232	585249	437212	21.43	8.04
15	नागौर	1631	139	3.94	15.19	11.89	1.21	106	33	61	29585	65603	65603	22.35	2.89
16	पाली	1055	291	4.8	8.41	5.42	0.99	200	91	83	35988	1109328	1109328	7.09	1.91
17	राजसमन्द	1081	1063	11.51	2.15	0.94	0.66	677	386	18	7954	1096272	1096272	9.89	9.89
18	उदयपुर	2527	2498	26.57	3.7	2.4	1.48	2384	114	26	29380	1221482	1221482	20.99	20.71
19	प्रतापगढ़	1013	827	6.93	2.48	1.81	0.80	826	1	0	47510	823249	823249	5.57	5.38
योग		**28314**	**14487**	**194.69**	**169.87**	**112.22**	**32.58**	**11345**	**3142**	**1227**	**805575**	**20434272**	**17154614**	**284.5**	**168.34**

EXTENT OF SCARCITY (Rabi)

SAMVAT 2072

क्र.सं.	जिला	जिले के कुल गांवो की संख्या	जिले के कुल प्रभावित गावो की संख्या 50 से 100 प्रतिशत	प्रभावित जन संख्या (लाखों में)	कृषि योग्य भूमि का कुल क्षेत्रफल (हैक्टयर में)	बोयी गई फसल का क्षेत्रफल (हैक्टयर में)	खराब हुई फसल का क्षेत्रफल (हैक्टयर में) 33 से 100 प्रतिशत	प्रभावित गांवो की संख्या			खराब हुई फसलों का मूल्य (लाखों में)	खराबे वाले गांवों के भू राजस्व की राशि रूपये में	स्थगन योग्य भू राजस्व की राशि रूपये में	कुल पशु संख्या वर्ष 2012 के अनुसार (लाखों में)	प्रभावित पशु संख्या
								50 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से कम	75 से 100 प्रतिशत तक	33 प्रतिशत या इससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	अलवर	2084	7	3.39	547770	469040	1305	6	1	3	860.00	338846	12460	17.23	11410
2	बीकानेर	953	24	0.72	2596196	487019	25831	20	4	57	5120.81	740108	346333	27.73	62837
3	चूरु	917	3	2.70	1272263	226091	4321	3	0	11	1670.30	312108	312108	18.50	45817
4	हनुमानगढ	1914	31	2.12	888970	482953	16515	31	0	54	3723.63	397341	185875	13.31	32763
5	जयपुर	2399	16	0.24	817373	336938	1870	16	0	2	390.00	349888	12414	28.04	7504
6	जैसलमेर	840	15	0.59	2837132	266937	10072	8	7	8	2681.20	624127	0	31.95	119476
7	झुन्झुनू	958	4	0.08	467929	237129	1631	4	0	1	465.60	13572	11850	12.85	8809
8	जोधपुर	1878	35	1.82	2880760	405022	19268	35	0	32	817.30	0	0	35.90	50040
9	करौली	893	1	0.00	222326	163313	85	1	0	0	12.00	13061	13061	9.34	322
10	नागोर	1631	1	0.00	1470430	273190	1419	1	0	10	750.00	57	57	31.50	44600
11	श्रीगंगानगर	3060	166	1.65	917089	648157	44556	146	20	101	18826.20	841412	671453	15.85	0
योग		**17527**	**303**	**13.31**	**14918238**	**3995789**	**126873**	**271**	**32**	**279**	**35317.04**	**3630520**	**1565611**	**242.21**	**383578**

Monsoon Rainfall Position (1st June to 30th Sept.2016)

S. No.	District	2014			2015			2016		
		Normal Rainfall	Actual	% Deviation	Normal Rainfall	Actual	% Deviation	Normal Rainfall	Actual	% Deviation
	Ajmer Division									
1.	Ajmer	429.60	527.3	22.7	429.60	397.17	-7.55	429.60	534.80	24.5
2.	Bhilwara	580.90	614.9	5.9	580.90	406.11	-30.09	580.90	817.31	40.7
3.	Nagaur	348.50	411.0	17.9	348.50	401.37	15.17	348.50	436.54	25.3
4.	Tonk	566.00	707.9	25.1	566.00	476.80	-15.76	566.00	726.38	28.3
	Bharatpur Division									
5.	Bharatpur	577.60	439.6	-21.2	557.60	412.72	-25.98	557.60	645.35	15.7
6.	Dholpur	650.00	491.2	-24.4	650.00	396.79	-38.96	650.00	656.17	0.9
7.	Karauli	637.40	516.7	-18.9	637.40	366.39	-42.52	637.40	758.67	19.0
8.	S.Madhopur	664.00	621.8	-6.4	664.00	444.59	-33.04	664.00	909.38	37.0
	Bikaner Division									
9.	**Bikaner**	228.70	222.0	-2.9	228.70	356.98	56.09	228.70	268.38	17.3
10.	Churu	313.70	363.0	15.7	313.70	383.31	22.19	313.70	398.33	27.0
11.	Ganganagar	201.40	259.6	28.9	201.40	280.64	39.34	201.40	140.56	-30.2
12.	Hanumangarh	252.50	273.3	8.2	252.50	262.57	3.99	252.50	229.00	-9.3
	Jaipur Division									
13.	Alwar	555.30	387.6	-30.2	555.30	348.45	-37.25	555.30	633.65	14.1
14.	Dausa	612.10	591.4	-3.4	612.10	315.71	-48.42	612.10	863.88	41.1
15.	Jaipur	524.60	473.6	-9.7	524.60	341.32	-34.94	524.60	555.81	5.9
16.	Jhunjhunu	410.00	401.4	-2.1	410.00	347.21	-15.31	410.00	501.29	22.3
17.	Sikar	402.50	480.5	19.4	402.50	458.50	13.91	402.50	485.38	20.6
	Jodhpur Division									
18.	Barmer	243.40	211.1	-13.3	243.40	406.59	67.05	243.40	260.27	6.9
19.	Jaisalmer	158.40	91.5	-42.2	158.40	322.03	103.30	158.40	131.08	-17.2
20.	Jalore	394.20	340.6	-13.6	394.20	647.73	64.32	394.20	430.93	9.3
21.	Jodhpur	274.50	275.5	0.4	274.50	361.00	31.51	274.50	367.07	33.7
22.	Pali	446.70	505.4	13.1	446.70	526.07	11.77	446.70	827.77	85.3
23.	Sirohi	868.60	630.6	-27.4	868.60	831.46	-4.28	868.60	823.75	-5.2
	Kota Division									
24.	Baran	792.20	1020.6	28.8	792.20	892.71	12.69	792.20	1161.13	46.6
25.	Bundi	655.90	684.7	4.4	655.90	620.46	-5.40	655.90	886.83	35.2
26.	Jhalawar	855.10	787.7	-7.9	855.10	1096.32	28.21	855.10	1119.42	30.9
27.	Kota	746.30	718.8	-3.7	746.30	775.72	3.94	746.30	835.88	12.0
	Udaipur Division									
28.	Banswara	831.80	646.1	-22.3	831.80	673.83	-18.99	831.80	1019.93	22.6
29.	Chittorgarh	709.70	786.4	10.8	709.70	584.46	-17.65	709.70	1300.27	83.2
30.	Dungarpur	637.80	599.2	-6.1	637.80	671.13	5.23	637.80	844.75	32.4
31.	Pratapgarh	845.80	706.6	-16.5	845.80	652.96	-22.80	845.80	1266.80	49.8
32.	Rajsamand	506.00	531.4	5.0	506.00	527.36	4.22	506.00	794.86	57.1
33.	Udaipur	591.30	714.0	20.8	591.30	633.79	7.19	591.30	832.54	40.8
Avr. Rajasthan		**530.08**	**518.7**	**-2.1**	**530.08**	**505.15**	**-4.70**	**530.08**	**678.56**	**28.0**

District wise Drought Frequency in Rajasthan

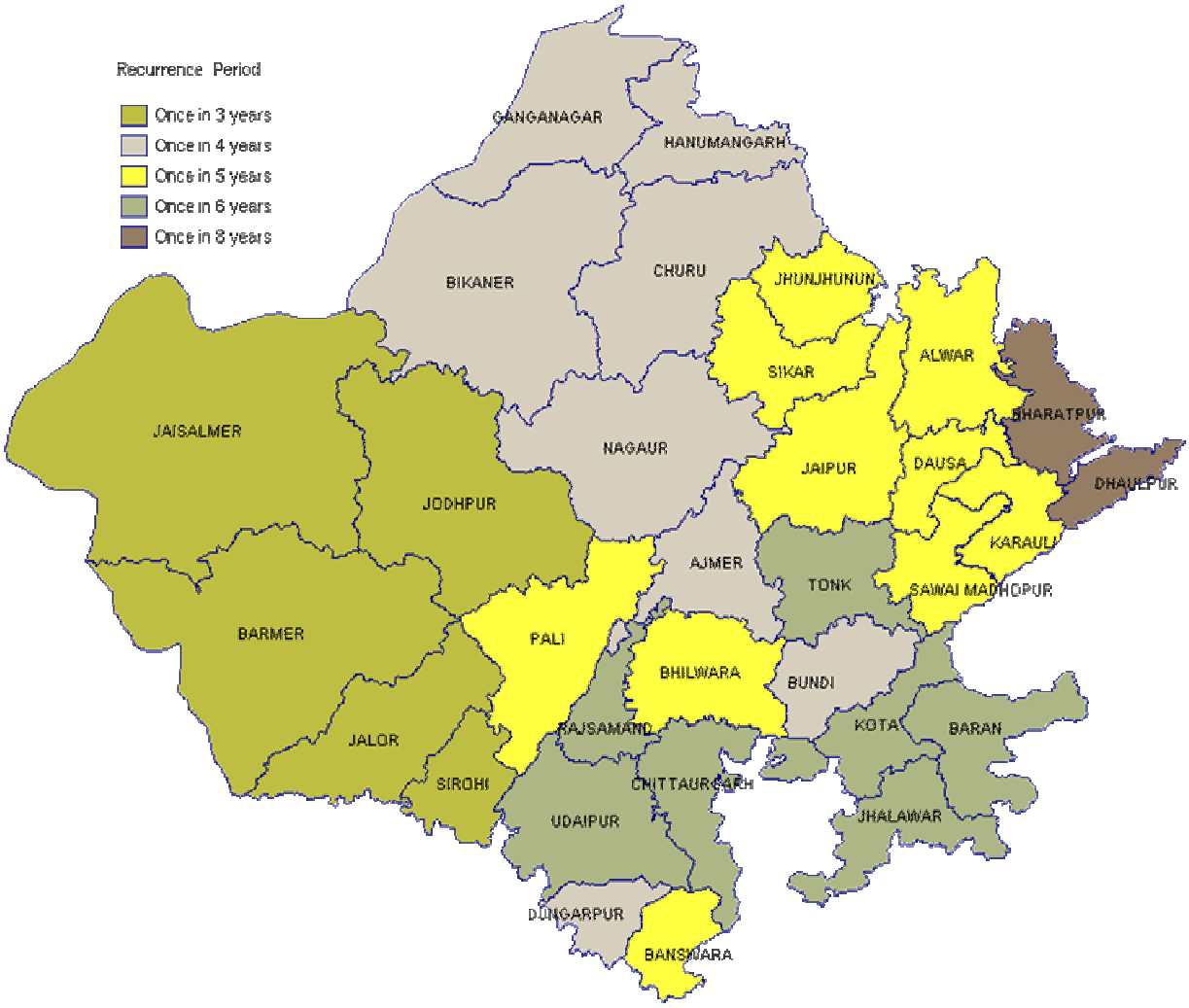

Rajasthan Earthquake Zone

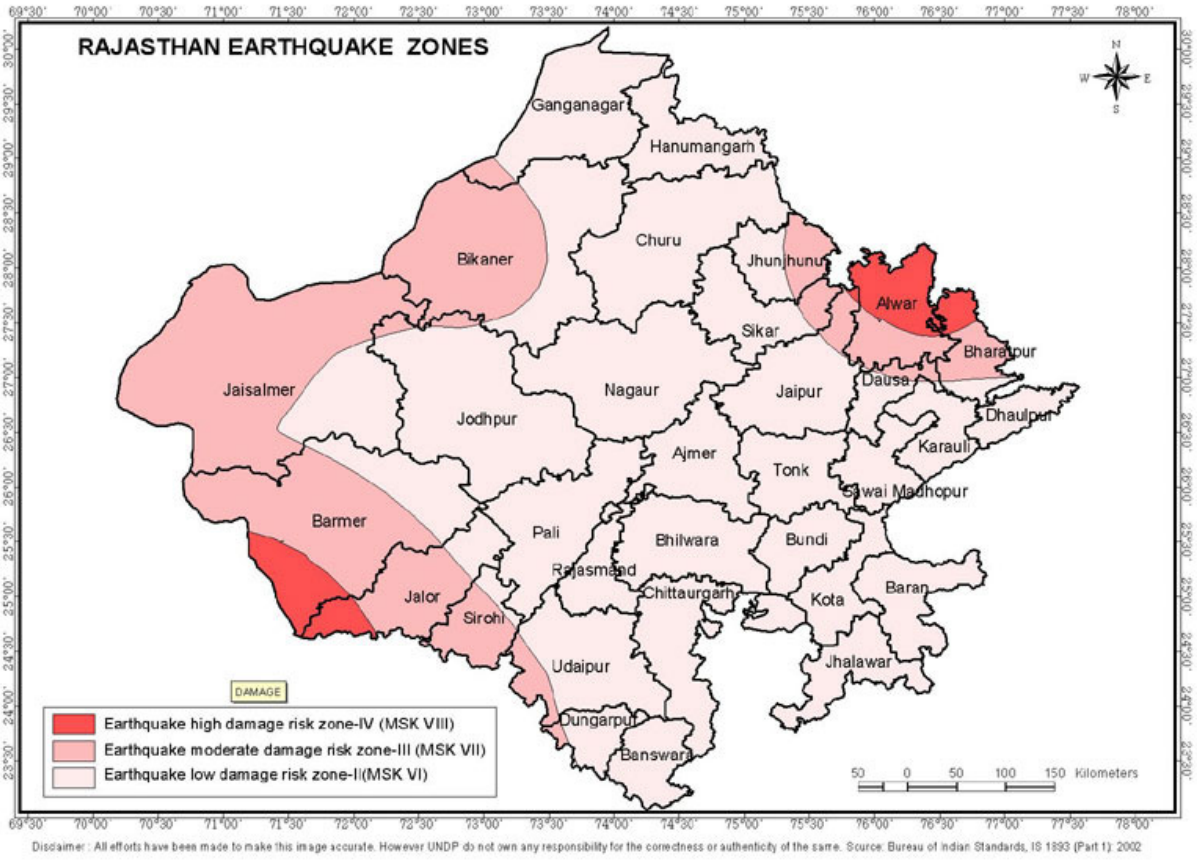

Disclaimer : All efforts have been made to make this image accurate. However UNDP do not own any responsibility for the correctness or authenticity of the same. Source: Bureau of Indian Standards, IS 1893 (Part 1): 2002